राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 09 (05) (12-II)/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 2758-780 जयपुर दिनांकः 22/5/17

जिला कलक्टर
.........................(समस्त)

विषयः– जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विभिन्न स्तर पर विलम्बित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर पेंशन वेबसाईट rajssp.raj.nic.in पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 54057-91 दिनांक 12.09.2017, 22266-98 दिनांक 27.03.2018 एवं समय-समय पर जारी किए गए अन्य पत्र

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच अधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय स्तर पर अत्यधिक संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदको के द्वारा किये गये आवेदन पत्रों के अनिस्तारित होने की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के नियम 5-'आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया' के अन्तर्गत दिनांक 02.10.2017 से ऑफलाईन आवेदन प्राप्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निषिद्ध/बन्द करते हुए केवल ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र या अन्य केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जावे, के माध्यम से पेंशन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाने का निर्णय लेते हुए नियमों में संशोधन/प्रतिस्थापन के आदेश जारी कर आपके जिले के अधीनस्थ कार्यरत समस्त पेंशन जांच अधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को एक सघन अभियान चलाकर उनके स्तर पर पेंशन हेतु लंबित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 30.09.2017 से पूर्व आवश्यक रूप से कर पेंशन वेब साईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के साथ-साथ-''जिले में लम्बित समस्त आवेदन पत्रो (ऑफलाईन) पर नियमानुसार कार्यवाही कर निस्तारित कर दिया गया है'' का प्रमाण पत्र भिजवाया जाने के लिए लिखा गया था, जो आज दिनांक तक वांछित है।

अतः इस ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करा कर व्यक्तिशः आग्रह करना चाहूंगा कि आपके जिले में विशेष सघन अभियान चलाकर विशेष रूप से दिनांक 02.10.2017 से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्र (यदि कोई हो), जो विभिन्न स्तर पर विलम्बित है, ऐसे प्रकरणों में

Scanned by CamScanner

आवेदन की पात्रता एवं सत्यापन की कार्यवाही कर उनको पेंशन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर निस्तारण की कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित पेंशन सत्यापन कर्ता अधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें। ऐसे समस्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण दिनांक 20 जून 2019 से पूर्व आवश्यक रूप से कर लिया जावे। इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही के क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र भी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे कि आपके जिले में दिनांक 02.10.2017 से पूर्व प्राप्त समस्त विलम्बित आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर उन्हें निस्तारित कर दिया गया है।

इसके साथ ही पेंशन हेतु आवेदन पत्र की ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों में से विभिन्न स्तर पर विलम्बित आवेदन पत्रों का भी निर्धारित समय सीमा में निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित कराये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि 30.06.2019 तक कोई भी आवेदन पत्र सत्यापन कर्ता अधिकारी के स्तर पर 30 दिवस तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर 15 दिवस (सत्यापनकर्ता अधिकारी के द्वारा अग्रेषित करने की तिथि) से अधिक विलम्बित नहीं रहे। विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01 जुलाई 2019 से लम्बित आवेदन पत्रों के संबंध में Rajssp पोर्टल से स्वतः सत्यापन/स्वीकृति की व्यवस्था लागू किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी। स्वतः सत्यापित/स्वीकृत आवेदन पत्र के लिए भी संबधित अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे।

इसे अति आवश्यक समझा जावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner